सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 20.09.2023

24 घण्टे के अन्दर साईकिल चोर व खरीददार गिरफ्तार, चोरी की 01 अदद साईकिल बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वाहन चोरी में संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर साईकिल चोर व खरीददार अभियुक्त–01.आदर्श मिश्रा, 02. कृपाराम को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद चोरी की साईकिल बरामद किया गया। दिनांक 19.09.2023 को वादी माधवराज तिवारी पुत्र तीरथ राम तिवारी नि0 ग्राम कोचवा थानाा कौड़िया जनपद गोण्डा ने थाना कौड़िया में अपनी साईकिल चोरी होने की सूचना दी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कौड़िया में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. आदर्श मिश्रा पुत्र ओमप्रकाश मिश्रा नि0 ग्राम घुचुआपुर मौजा कोचवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
02. कृपाराम पुत्र छबीले नि0 ग्राम सोहरियावा थाना पयागपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–312/23, धारा 379,411,413 भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद चोरी की साईकिल।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 दिलीप कुमार सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 20.09.2023

जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सट्टेबाजों/जुआरियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों के दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान जुआ खेलते 04 अभियुक्तों–01. कृष्ण मोहन मिश्रा, 02. अर्जुन वर्मा, 03. सर्वेश कुमार गौतम, 04. लोकेन्द्र कुमार लोधी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व फड से 3000 रूपये गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 देहात में जुआ अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. कृष्ण मोहन मिश्रा पुत्र जगदीश प्रसाद मिश्रा नि0 ग्राम पण्डरी कृपाल थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. अर्जुन वर्मा पुत्र रामअचल नि0 ग्राम सनपुरवा पिलखई थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
03. सर्वेश कुमार गौतम पुत्र रामहित गौतम नि0 ग्राम पण्डरी कृपाल थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
04. लोकेन्द्र कुमार लोधी पुत्र देवदत्त सिंह लोधी नि0 ग्राम बाबूपुर खुशकरी थाना आदमपुर जनपद कासगंज हालपता आनन्द राईस मिल माल गोदाम सोनार गली थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 509/2023 धारा 13 जुआ अधि0 थाना को०देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारी कर्ता टीम–

व0उ0नि0 खुश मोहम्मद खॉ मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 20.09.2023

जालसाजी करने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शिवराज के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा जालसाजी करने के 02 वांछित अभियुक्तों–हरिश्चन्द्र तिवारी, 02. रत्नेश कुमार द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तगण थाना को0 नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0–252/23, धारा 419,420,467,468,471 भादवि में वांछित चल रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–
01. हरिश्चचंद्र तिवारी पुत्र विद्याधर तिवारी निवासी खरगूपुर नकहा थाना को0देहात गोण्डा व हालमुकाम गायत्रीपुरम को0नगर गोण्डा।
02. रत्नेश कुमार द्विवेदी पुत्र दयाराम द्विवेदी निवासी करूआपारा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

आपराधिक इतिहास हरिशचन्द्र–
01. मु0अ0सं0 26/21 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा
02. मु0अ0सं0 246/22 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा
03. मु0अ0सं0 247/22 419/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा
04. मु0अ0सं0 248/22 419/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा
05. मु0अ0सं0 249/22 419/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा
06. मु0अ0सं0 251/22 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा
08. मु0अ0सं0 253/22 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा
09. मु0अ0सं0 254/2023 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

आपराधिक इतिहास रत्नेश–
01. मु0अ0सं0 249/22 419/420/467/468/471 आईपीसी थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 251/22 धारा 419/420/467/468/471 आईपीसी थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग–
मु0अ0सं0 0252/2022 धारा 419, 420, 467, 468, 471,120 बी भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
उ0नि0 भानु प्रताप सिंह मय टीम।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 20.09.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में जनपद गोंडा के थाना खरगूपुर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने रिजर्व पुलिस लाइन सभागार मे किया अपराध गोष्ठी, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के दिए निर्देश–

अपराध गोष्ठी के दौरान जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने/आगामी त्योहार को सकुशल संपन्न कराने हेतु दिए कड़े निर्देश–

कजरीतीज व अन्य त्योहार शांतिपूर्ण सकुशल सम्पन्न होने पर रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में हुआ बड़ा खाना का आयोजन, पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों को स्वयं परोसकर खिलाया भोजन–

दिनांक 20.09.2023 को रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में कजरीतीज व अन्य त्योहार शांतिपूर्ण सकुशल सम्पन्न होने पर बड़ा खाना का आयोजन हुआ। समारोह के दौरान पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र ए0पी0 सिंह, जिलाधिकारी गोण्डा नेहा शर्मा व पुलिस अधीक्षक गोण्डा अंकित मित्तल द्वारा पुलिस कर्मियों को स्वयं भोजन परोसकर खिलाया गया। तत्पश्चात रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा अपराध गोष्ठी की गयी जिसका मुख्य विषय कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण रहा। पुलिस अधीक्षक ने सर्वप्रथम महत्वपूर्ण अपराधों, प्रगतिशील अपराधों, मासिक निरोधात्मक कार्यवाही, प्रगतिशील निरोधात्मक कार्यवाही, महिला उत्पीडन से सम्बन्धित अपराध, प्रगतिशील महिला उत्पीडन से सम्बन्धित अपराध व एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट से सम्बन्धित अपराध की सर्किलवार/थानावार तीन वर्षीय तुलनात्मक विवरण को देखा गया साथ ही डकैती/लूट/हत्या/चौन स्नैचिंग/फिरौती अपहरण/नकबजनी /वाहन चोरी के पेंडिंग मुकदमों में सम्पत्ति की बरामदगी व अभियुक्तो की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, भंडारण, परिवहन, बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगाने, चोरी, लूट व नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु कस्बा व ग्रामीण इलाकों में रात्रि गश्त बढ़ाने, बैंक व लेनदेन वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने तथा प्रतिदिन बैंक ड्यूटी में जाने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी के सम्बन्ध में ब्रीफ करने, पीआरवी वाहनों की निरन्तर चेकिंग करने, सवेदनशील स्थानों पर पीआरवी वाहनो की सक्रियता बढ़ाए जाने एवं सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान दृश्यता, गतिशीलता, सजगता एवं सतर्कता बनाये रखने हेतु निर्देशित किया। लंबित विवेचनाओं विशेषकर अनावरित अभियोगो के निस्तारण, वांछित अभियुक्तों, इनामिया, जिलाबदर, एनबीडब्ल्यू के विरूद्ध अभियान चलाकर गिरफ्तारी करने, गैंगेस्टर के प्रकरणों में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 14(1) के तहत अभियुक्तों की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही करने, अपराधियों के विरूद्ध एच0एस0 खोले जाने की कार्यवाही, गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही किए जाने, गैंग पंजीकरण की कार्यावाही, टॉप–10 अपराधियों का चिन्हीकरण कर कड़ी कार्यवाही करने तथा समस्त सम्मन व नोटिस का समय से तामिला कराने, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने का निर्देश दिया साथ ही आगामी कजरीतीज त्योहार को सकुशल संपन्न कराने हेतु भी निर्देशित किया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक ने अपह्ताओं, गुमशुदा प्रकरणों में सर्विलांस की मदद से शीघ्र कार्यवाही कर अपह्ताओं/गुमशुदा की तलाश करने, महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी कार्यवाही करने, मिशन शक्ति अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये थानो पर गठित एण्टीरोमियों टीमों की क्रियाशीलता निरंतर जारी रखने, आम जनमानस में सुरक्षा की भावना को बढ़ाने हेतु पैदल गश्त को और अधिक क्रियाशील करने का निर्देश दिया साथ ही महिला हेल्प डेस्क पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों द्वारा पीड़ित महिला फरियादियों की समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक सुनने व उनका तत्काल निस्तारण कराने के निर्देश दिए साथ ही जनसुनवाई, महिला बीट व आगामी त्योहार में सतर्कता व अराजक तत्वों पर कार्यवाही तथा लोवर व सेशन कोर्ट में गम्भीर अपराधों में चिन्हित मुकदमों में साक्षियों की उपस्थिति कराकर अभियुक्तों को जल्द से जल्द सजा कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने आई0जी0आर0एस0/जनशिकायती प्रार्थनापत्रो का समय बद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त क्षेत्राधिकारी, वाचक पुलिस अधीक्षक, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, शाखा प्रभारी अधि अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहे।